परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी साधन (रक्षा कवच)

लागू नहीं

14/06/2

(राजेश मीणा)
व.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.,पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.म.परि.प्रबं.,पुणे

परिशिष्ट 'घ'

परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

I स्टेशन मास्टर.

1) उचित वर्दी, बैज और संयमित तरीके से ड्यूटी पर समय से पहले उपस्थित होना। स्टेशन का प्रभारी होने के नाते, ट्रेन पासिंग ड्यूटी, ब्लॉक वर्किंग, पैनल आदि के अलावा पर्यवेक्षक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों का पालन करना।

2) स्टेशन प्रबंधक अपने स्टेशन पर विभिन्न स्टाफ सदस्यों द्वारा कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए जिम्मेदार है। (सामान्य नियम 5.01)। अपने नियंत्रण में काम करने वाले अन्य स्टाफ के कामकाज का पर्यवेक्षण करना।

3) उसे स्टेशन और वीडीयू पैनल, पॉइंट और सिगनल के विस्तृत कामकाज से खुद को अच्छी तरह से परिचित करना होगा।

4) उसे अपने स्टेशन संदर्भ पुस्तिका जैसे जी.एंड.एस.आर., बी.डब्ल्यू.एम., दुर्घटना मैनुअल, परिचालन मैनुअल, वाणिज्यिक मैनुअल, स्थापना मैनुअल आदि को नवीनतम शुद्धि पत्र के साथ अद्यतन रखना होगा और उसे विस्तार नियमों से पूरी तरह से परिचित रखना होगा। जब भी कहा जाए उसे अपनी पुस्तकें निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखनी होंगी।

5) यह सुनिश्चित करना कि स्टेशन का सामान्य कामकाज वर्तमान नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है।

6) वह स्टेशन की साफ-सफाई और रखरखाव, स्टेशन के अभिलेखों, आवश्यक उपकरणों, यातायात और वाणिज्य रजिस्टरों आदि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

7) यात्रियों और कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा के साथ त्वरित और विनम्र सेवा प्रदान करना।

8) वाणिज्यिक, यातायात विभागों पर आवधिक रिटर्न जमा करने और अपने नियंत्रण में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन बिल और अन्य अनुलग्नक जमा करने, पुस्तकों और फॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्रियों के लिए मांगपत्र देने के लिए जिम्मेदार है।

9) वह कर्मचारियों की सतर्कता और सिगनल और पॉइंट के कामकाज और सिगनल आदि की दृश्यता की जांच करने के लिए रात और औचक निरीक्षण करेगा।

10) समय-समय पर जारी सभी परिपत्रों / निर्देशों को स्थायी आदेश पुस्तिका के माध्यम से अधिसूचित करना और घोषणा रजिस्टर का रखरखाव करना।

11) वह रिले रूम की चाबियाँ, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चाबियां, स्लाइड उपकरण चाबियां आदि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है और ड्यूटी खत्म होने पर उन्हें रिलीवर को सौंप देता है। (जब भी वह ट्रेन पासिंग ड्यूटी पर काम करता है)

12) वह दुर्घटना रजिस्टर और दुर्घटना चार्ट बनाए रखने और उन्हें अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

13) वह स्टॉक के संबंध में आंकड़े बनाए रखेगा और उन्हें समय पर कंट्रोल में भेज देगा।

14/06/25

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

14) वह सभी सार्वजनिक शिकायतों की जांच करेगा और शिकायतों के अंशों को कर्मचारियों के स्पष्टीकरण और अपनी टिप्पणियों के साथ समय पर मंडल कार्यालय को भेजेगा। अन्य विभाग से संबंधित शिकायतों के मामले में, विभाग के अधीनस्थ प्रभारी को तुरंत सूचना दी जा सकती है ताकि पुनरावृत्ति से बचने के लिए कार्रवाई की जा सके।

15) वह दुर्घटना की सूचना तुरंत देगा, घटनास्थल का प्रभार संभालेगा और घायल और फंसे हुए यात्रियों को तुरंत निकालने के लिए राहत उपायों में सहायता करेगा। वह उपलब्ध सभी सूचनाओं को नोट करेगा और सुरागों/साक्ष्यों की रक्षा करेगा, जो जांच में मददगार हो सकते हैं। वह नियमित अंतराल पर कंट्रोल ऑफिस को वर्तमान जानकारी के लिए सूचित करेगा तथा अपेक्षित सहायता अर्थात राहत ट्रेन, चिकित्सा वैन आदि के लिए कहेगा। वह यार्ड दुर्घटनाओं की जांच करेगा, जिम्मेदार कर्मचारियों के बयान प्राप्त करेगा तथा निष्कर्षों और जॉइंट नोट के साथ अपनी रिपोर्ट मंडल कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

16) वह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक बाल्टी आदि अच्छी स्थिति में हैं तथा उपयोग के लिए तैयार हैं।

17) वह देखेगा कि ट्रेन सिगनल रजिस्टर, स्टेशन डायरी, निरीक्षण नोटबुक, संदर्भ पुस्तकें तथा अन्य स्टेशन रिकॉर्ड इस अध्याय में बाद में निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए उचित रूप से बनाए रखे गए हैं तथा संरक्षित हैं।

18) स्टेशन मास्टर नियमित रूप से पॉइंट, सिगनल तथा ट्रैक सर्किट के कामकाज का परीक्षण करेगा तथा चार्ज बुक में रिकॉर्ड करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिगनल, ब्लॉक उपकरण तथा पैनल ठीक से काम कर रहे हैं।

19) वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि एसडबल्यूआर (SWR) भौतिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो तथा आवश्यक परिशिष्टों एवं सही एसडबल्यूआरडी (SWRD) से सुसज्जित हो। एस.डब्लू.आर. में पाई गई किसी भी विसंगति को प्रशासन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। वह यह भी देखने के लिए जिम्मेदार है कि ट्रेन वर्किंग स्टाफ ने एस.डब्लू.आर. की जानकारी है, तथा इसके लिए स्वीकृति दी है और इसका सख्ती से पालन कर रहा है।

20) उपरोक्त के अतिरिक्त, स्टे.मा. को उप स्टे.मा. के रूप में ट्रेन पासिंग ड्यूटी भी करनी होती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

II. उप स्टेशन प्रबंधक.

1) उचित वर्दी, बैज और संयमित तरीके से ड्यूटी पर समय से पहले उपस्थित होना। ब्लॉक वर्किंग और पैनल सहित ट्रेन पासिंग ड्यूटी से संबंधित ड्यूटी करना। उसे पूरी तरह आराम करने के बाद ड्यूटी पर आना चाहिए और ड्रग्स या मादक पदार्थों के प्रभाव में अपनी ड्यूटी नहीं करनी चाहिए।

2) उसे अपनी संदर्भ पुस्तिका जैसे जीएंडएसआर, बीडब्ल्यूएम और एक्सीडेंट मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल आदि को नवीनतम शुद्धि पत्र के साथ अद्यतन रखना चाहिए और संबंधित नियमों से पूर्णतः परिचित रहेगा। उसे अपनी पुस्तकें निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध रखनी चाहिए, जब ऐसा करने के लिए कहा जाए।

3) उसे स्टेशन और वीडीयू पैनल, पॉइंट और सिग्नल के विस्तृत कामकाज से खुद को अच्छी तरह परिचित करना चाहिए।

4) एसएम (प्रभारी) की अनुपस्थिति में वह कार्यालय प्रबंधन और सामान्य अनुशासन के लिए जिम्मेदार है। वह अपनी शिफ्ट में स्टेशन की सफाई और रखरखाव, स्टेशन रिकॉर्ड, आवश्यक उपकरण, यातायात और वाणिज्य रजिस्टर आदि के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।

5) वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडब्लूआर भौतिक वास्तविकताओं से मेल खा रहा है और आवश्यक परिशिष्टों और सही एसडब्लूआरडी से सुसज्जित है। एसडब्लूआर में पाई गई किसी भी विसंगति को प्रभारी/प्रशासन के ध्यान में लाया जाना चाहिए और एसडब्लूआर का सख्ती से पालन करना चाहिए।

14/06/25

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

6) वाणिज्यिक कर्तव्यों जैसे कि टिकट जारी करना और संग्रह करना, पार्सल और सामान जारी करना, यदि कोई हो, का प्रभारी होना। रिटर्न तैयार करने और जमा करने में प्रभारी एसएम की सहायता करना।

7) यह सुनिश्चित करना कि स्टेशन का सामान्य कामकाज वर्तमान नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है। स्टेशन का रखरखाव, स्टेशन के रिकॉर्ड, आवश्यक उपकरणों का रखरखाव, यातायात और संचार रजिस्टर आदि का रखरखाव।

8) ड्यूटी पर आते समय, वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पॉइंट और सिग्नल अच्छी स्थिति में हैं और ट्रेन के गुजरने से संबंधित सभी रजिस्टर, रिकॉर्ड पूरी तरह से पूरे हैं।

9) वह पैनल में उपलब्ध संकेतों से यह सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल अच्छी तरह से जल रहे हैं और सही संकेत दे रहे हैं।

10) वह इंजीनियरिंग प्रतिबंधों के पूर्ण और अद्यतन प्रतिबंधों को बनाए रखेगा। वह प्रत्येक सोमवार को सतर्कता आदेश रजिस्टर आगे लाएगा और नोटिस बोर्ड पर प्रतिबंधों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह संबंधित ट्रेनों को उचित सतर्कता आदेश की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

11) वह सेक्शनल कंट्रोलर के पूर्व परामर्श के साथ ट्रेनों को लाइन क्लीयर प्राप्त करने और देने के लिए जिम्मेदार है। ट्रेन चालक दल के साथ 'ऑल राइट' सिग्नल के आदान-प्रदान के माध्यम से ट्रेनों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करना और 'ऑल राइट' सिग्नल का आदान-प्रदान करने के लिए ऑफ साइड पर मध्य ड्यूटी स्टाफ को तैनात करना।

12) मध्य ड्यूटी पॉइंट्समैन की सहायता से कंट्रोल द्वारा निर्देशित शंटिंग संचालन में भाग लेना। ट्रेन पासिंग ड्यूटी के संबंध में कंट्रोल और संचालन अधिकारियों द्वारा निर्देशित कोई अन्य कर्तव्य।

13) वह अपने वरिष्ठों की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। वह अपने कर्तव्य को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके रिलीवर द्वारा उसे उचित रूप से मुक्त न किया जाए और अपने वरिष्ठों की पूर्व अनुमति के बिना अपने कर्तव्य का आदान-प्रदान नहीं करेगा। वह तब तक अपने आपको ड्यूटी से मुक्त नहीं मानेगा जब तक कि वह उन ट्रेनों का लेन-देन पूरा नहीं कर ले जिसके लिए उसने लाइन क्लियर दिया है/प्राप्त किया है, जब तक कि ऐसी ट्रेनें पूरी तरह से नहीं आ जातीं।

14) वह रिले रूम की चाबियों, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कीज, स्लाइड इंस्ट्रूमेंट कीज आदि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। तथा ड्यूटी से ब्रेक लेने पर उसे रिलीवर को सौंप देगा।

15) वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेशों का हमेशा पालन करेगा, जब तक कि वे प्रचलित नियमों का उल्लंघन न करते हों।

16) वह क्रैंक हैंडल निकालने, कॉशन ऑर्डर, टी/369(3बी), टी/806 तथा अन्य प्राधिकरण पत्र जारी करने में आवश्यकता होने पर पॉइंट्समैन की सहायता लेगा।

17) वह टीएसआर बनाए रखेगा तथा ट्रेन और शंटिंग मूवमेंट के संबंध में लॉगबुक बनाए रखेगा। वह पीछे के स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद एसएम को ट्रेनों के आगमन की पूरी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। असामान्य कार्य के मामले में, वह पॉइंट्स की क्रैंकिंग, पैड लॉकिंग तथा ट्रेनों की पायलटिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

18) जनता को उचित सहायता प्रदान करें तथा आवश्यकता पड़ने पर सही जानकारी देते समय सावधानी बरतें।

14/06/20

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

III. **कांटावाला:**

1) उचित वर्दी पहनकर और संयमित तरीके से ड्यूटी पर उपस्थित होना। ट्रेन पासिंग ड्यूटी से संबंधित ड्यूटी करना। उसे पूरी तरह आराम करने के बाद ड्यूटी पर आना होगा और नशीली दवाओं या मादक पदार्थों के प्रभाव में अपनी ड्यूटी नहीं करनी होगी।

2) मध्य ड्यूटी कार्य जैसे स्टेशन की घंटी बजाना, पार्सल, सामान आदि की लोडिंग/अनलोडिंग, यदि कोई हो, करना।

3) ड्यूटी एस.एम. द्वारा निर्देशित सतर्कता आदेश, लाइन क्लियर टिकट, टी.369 (3बी) और अन्य प्राधिकरण पत्र सौंपना।

4) वह के.एल.सी.आर .बॉक्स से क्रैंक हैंडल निकालने और जब भी आवश्यक हो, क्रैंक हैंडल की मदद से पॉइंट को क्लैंप करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद एस.एम. की सहायता करेगा।

5) ट्रेन के सुरक्षित मार्ग के लिए ड्यूटी पर मौजूद एस.एम. की सहायता करना तथा पॉइंट की विफलता, बिजली की विफलता, विफलता के मामले में पॉइंट की क्लैम्पिंग और पैडलॉकिंग, पॉइंट की सेटिंग के लिए क्रैंक हैंडलिंग, एम.एस.ई.बी. विद्युत आपूर्ति न होने पर डी.जी. सेट को चालू करना, पायलटिंग में भाग लेना तथा ड्यूटी पर मौजूद एस.एम. द्वारा निर्देशित दोषपूर्ण सिगनल के नीचे 'प्रोसीड' हाथ सिगनल दिखाना।

6) ड्यूटी पर मौजूद एस.एम. द्वारा निर्देशित शंटिंग संचालन में भाग लेना।

7) ट्रेन पासिंग ड्यूटी के संबंध में ड्यूटी पर मौजूद एस.एम. द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना।

8) वह हमेशा अपने वरिष्ठों के वैध आदेशों का पालन करेगा, जब तक कि वे लागू किसी भी वर्तमान नियमों का उल्लंघन न करें।

*****

14/06/25

(राजेश मीणा)
व,.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व,.म.परि.प्रबं.पुणे

परिशिष्ट 'ड़'

आवश्यक साधनों की सूची

निम्नलिखित उपकरण, जो इस स्टेशन पर ट्रेन पासिंग ड्यूटी के संबंध में सेवा योग्य स्थिति में उपलब्ध होने चाहिए और उनकी सूची पैनल रूम में प्रमुख स्थान पर रखी जानी चाहिए।

क्र.	विवरण	संख्या
1.	हाथ सिगनल झण्डे - हरा	4
2.	हाथ सिगनल झण्डे - लाल	4
3.	एल.ई.डी. की फ्लेशिंग तीन रंगों का हाथ सिगनल लैम्प	4
4.	पैडलॉक और चाबियों सहित सेफ्टी चैन	10
5.	पैडलॉक और चाबियों सहित क्लैम्प	10
6.	वूडन वेजेस/पच्चर/पच्चड़	16
7.	स्फोटक	20
8.	रेत और पानी सहित फायर बकेट (2 + 2)	4
9.	अग्निशामक	2

नोट: एस.एम. कान्हेगांव निर्धारित संख्या में उपकरण रखने के लिए जिम्मेदार है। जब उपकरणों की निर्धारित संख्या उपयोग के कारण या उपकरण की विफलता जैसे किसी कारण से कम होती हैं, तो एस.एम. कान्हेगांव इसे खरीदेगा या इसकी मरम्मत करेगा, जैसा भी मामला हो।

*****

14/06/25
(राजेश मीणा)
व.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.,पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.म.परि.प्रबं.,पुणे

परिशिष्ट 'च'

डी.के. स्टेशनों, हॉल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और ऑउटलेइंग साइडिंग के संचालन के नियम

*****

लागू नहीं

14/06/25

(राजेश मीणा)
व.मं.सि.एवं दू.सं.इंजी.,पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.म.परि.प्रबं.,पुणे

परिशिष्ट'ज'
स्टेशन का इतिहास

1. स्टेशन का उद्घाटन:

अवधि 1953 :से पहले			
अनुभाग	दूरी	गेज	रेलवे
पुणे - गाणगापुर रोड	349.73कि.मी.	बीजी	ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला (जीआईपी)
दौंड-मनमाड	236.61कि.मी.	बीजी	ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला (जीआईपी)
गाणगापुर रोड - वाडी	63.30कि.मी.	बीजी	निज़ाम स्टेट रेलवे
मिरज-कुर्डुवाड़ी-लातुर	325.91कि.मी.	एनजी	बार्शी लाइट रेलवे(बीएलआर)
दौंड-बारामती	43.70कि.मी.	एनजी	निजी

अवधि 1953 :के बाद			
वर्ष	विभाजन	जोन	अनुभाग
1953	सोलापुर	मध्य रेल	पुणे - आरसी ,दौंड-मनमाड
1954	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गया,(LUR(NG-KWV : कुर्डुवाडी-मिरज)एनजी ,(दौंड-बारामती)एनजी(
1966	सोलापुर	दक्षिण मध्य रेल	अनुभाग हटाया गया :पीए-दौंड ,दौंड-मनमाड
1967	सोलापुर	दक्षिण मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गया :दौंड-पीए
1977	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गया :दौंड-मनमाड अनुभाग हटाया गया :एमआर-आरसी
1978	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गया :एमआर-डब्ल्यूडी
2001	सोलापुर	मध्य रेल	एनजी से बीजी में रूपांतरण :कुर्डुवाडी-पीवीआर
2003	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गयाLTRR-LUR : अनुभाग हटाया गया :दौंड)एक्सक्लूसिव-(पुणे,दौंड)एक्सक्लूसिव-(बारामती)बीजी(।
2004	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग हटाया गया MMR-ANK : (एक्सक्लूसिव)
2007	सोलापुर	मध्य रेल	एनजी से बीजी में रूपांतरणUMD-LUR :
2008	सोलापुर	मध्य रेल	एनजी से बीजी में रूपांतरण :UMD-KWV
2009	सोलापुर	मध्य रेल	अनुभाग जोड़ा गया :पुणतांबा-साईनगर शिर्डी
2010	सोलापुर	मध्य रेल	एनजी से बीजी में रूपांतरण :PVR-MRJ
2017	सोलापुर	मध्य रेल	GDG को जोड़ने वाली HG कॉर्ड लाइन जोड़ी गई

14/06/24

(राजेश मीणा)
व,.इंजी.सं.एवं दू.सि.मं.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.मं.परि.प्र.,पुणे

2017	सोलापुर	मध्य रेल	ANG -NYDO अनुभाग जोड़ा गया
2017	सोलापुर	मध्य रेल	KLBG-Tajsultanpur अनुभाग जोड़ा गया
2019	सोलापुर	मध्य रेल	नारायणडोह - सोलापुरवाड़ी सेक्शन जोड़ा गया
2019	सोलापुर	मध्य रेल	दौंड कॉर्ड लाइन जोड़ी गई
2021	सोलापुर	मध्य रेल	हरंगुल नया स्टेशन जोड़ा गया
2021	सोलापुर	मध्य रेल	सोलापुरवाड़ी - आष्टी खंड जोड़ा गया
2024	पुणे	मध्य रेल	दौंड-येवला खंड जोड़ा गया

यह स्टेशन दौंड-येवला सेक्शन में है जिसे 1 अप्रैल 2024 को इस स्टेशन सहित सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे से पुणे डिवीजन में विलय कर दिया गया था । स्टेशन को पैनल इंटरलॉकिंग प्रदान की गई थी जिसे 17.11.2005 को चालू किया गया था।

2. **मुख्य विशेषताएं:**

कान्हेगांव एक श्रेणी' **ख** 'स्टेशन है जो डबल लाइन सेक्शन पर स्थित है और मानक **III-** इंटरलॉकिंग एमएसीएलएस और मोटर संचालित पॉइंटों से सुसज्जित है जो सीएसएमटी से किमी 446.660पर दौंड-येवला सेक्शन पर स्थित स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में प्रदान किए गए वीडीयू पैनल से सीधे संचालित होते हैं।

सीएसएमटी से किमी 446/8-9 पर दो समपार फाटक, इंटरलॉक्ड ट्रैफिक समपार फाटक नंबर, 62 और नॉन-इंटरलॉक समपार फाटक नंबर हैं। 63 किलोमीटर 449/7-8 पर। इन गेटों का **कान्हेगांव** स्थित स्टेशन प्रबंधक कार्यालय से टेलीफोनिक कनेक्शन है।

3. **आगामी उन्नयन**:

3.1 पैनल इंटरलॉकिंग के प्रावधान से पहले अर्थात 17.11.2005, स्टेशन को प्रदान किया गया था एसटीडी II इंटरलॉकिंग के साथ TALQ सिगनलिंग के साथ । अप के सिगनल और पॉइंट और डाउन मेन और लूप लाइन को एंड केबिन से संचालित किया गया था। पोदनूर सिंगल लाइन टोकन रहित ब्लॉक उपकरण KNGN-PB और KNGN-KPG स्टेशन के लिए प्रदान किया गया था और स्टेशन से स्लाइड नियंत्रण संचालित किए गए थे।

3.2 कान्हेगांव-पुणतांबा पोदनूर ब्लॉक उपकरण का डेडो ब्लॉक उपकरण द्वारा प्रतिस्थापन 14.03.13 को शुरु किया गया और कान्हेगांव-कोपरगांव ने पोदनूर ब्लॉक उपकरण का डेडो ब्लॉक उपकरण से प्रतिस्थापन 18.03.13 को शुरु किया।

3.3 आगे विद्युतीकृत सेक्शन 18.03.13 को शुरु किया गया।

3.4 समपार फाटक नंबर 62 पर विद्युत लिफ्टिंग बाधाओं का प्रावधान 20.01.16 को शुरू किया गया था।

14/06/24

(राजेश मीणा)
व,.इंजी.सं.एवं दू.सि.मं.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.मं.परि.प्र.,पुणे

3.5 समपार फाटक नंबर 62 पर स्लाइडिंग बूम बैरियर का प्रावधान। 24.05.16 को शुरु किया गया था।

3.6 ' घ'श्रेणी स्टेशन "संवत्सर" 454.20 किलोमीटर पर, कान्हेगांव-कोपरगांव के बीच ब्लॉक स्टेशन स्थायी रूप से बंद कर दिए गए।

3.7 कर्मचारीयुक्त इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटक नंबर 60 को स्थायी रूप से 03.02.2021 को सड़क यातायात हेतु बंद कर दिया गया था।

3.8 कर्मचारीयुक्त इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटक नं. 64 को 25.03.2021 को सड़क यातायात स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

3.9 कान्हेगांव-कोपरगांव के बीच दोहरी लाइन का प्रावधान 28.01.2023 को शुरू किया गया था।

3.10 दौंड-मनमाड सेक्शन पीएच-II के कान्हेगांव-पुणतांबा दोहरीकरण के बीच दोहरी लाइन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

4 विशेष निर्देश:

PCOM की स्वीकृति प्राप्त की गई है कि जब एक से अधिक गाड़ियां किसी भी दिशा से आने या जाने के लिए Yard Layout द्वारा isolation प्रदान किया गया हो, तब एक समय में एक से अधिक गाड़ियों के लिए सिग्नल को 'OFF' किया जा सकते हैं, जैसा कि GR में वर्णित है। 3.47 **PCOM/CR/CSMT No.TR/Disp./SUR/134/2024/15(दिनांक 26.04.2024 की विशेष मंजूरी)**

5 स्वीकृत विशेष निर्देश:

लागू नहीं.

6 जीएम/सीआरएस/रेलवे बोर्ड द्वारा जारी क्षमा:

लागू नहीं.

****

14/06/24

(राजेश मीणा)
व,.इंजी.सं.एवं दू.सि.मं.पुणे

(डॉ. रामदास भिसे)
व.मं.परि.प्र.,पुणे